

अष्टम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का अदालत,

भागलपुर

थाना कांड संख्या- 208/16 (कहलगाँव)

आरोपित धाराएँ- 366(A), 506, 34 IPC

सत्रवाद संख्या- 327/18 + 850/18

अनुसंधान पदाधिकारी का नाम- नवल डिमोर सिंह, ए० अ० नि०

सेवा में,

थानाध्यक्ष कहलगाँव

भागलपुर

महाशय,

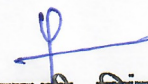
आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त थाना कांड के अनुसंधान पदाधिकारी को निर्देशित करे कि दिनांक 12.03.20 को इस थाना कांड संख्या के सभी साक्षियों का साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करे।

यदि अनुसंधान पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो आप स्वयं साक्षी को निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करे।

यदि साक्षी को निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसे कर्तव्यहीनता एवं न्यायालय के न्यायिक आदेश की अवहेलना मानी जाएगी।

विश्वासभाजन

आज्ञाओं का नाम



(एम.पी. सिंह,)

अष्टम अपर जिला

एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर।

दिनांक- 19.02.20

① दिलीप पासवान पौ० बज्जों पालवान

② कुनम देवी पति दिलीप पासवान

③ सुपेया देवी पति अरराग हाट

④ सीमा देवी पति विवेक मंडल

सगी हा० - रामनगर, बनहरा बगीचा,

थाना - कहलगाँव, जि० - भागलपुर।

⑤ डा० कल्पना मिश्रा, सर अस्पताल, भागलपुर।

⑥ नवल डिमोर सिंह, ए० अ० नि०, कहलगाँव थाना।

⑦ अचन देव वर्मा, ए० अ० नि०, कहलगाँव थाना, भागलपुर।

In the Court of M.P. Singh, 8th Additional District & Sessions Judge, Bhagalpur
Order-sheet

S.T. NO.:- 327/18 + 850/18

14-11-19 सभी दो अभियुक्त अभियुक्तों के
साथी-अभियुक्तों के
दि. 24.12.19 साक्षर है
अभिप्रायन साक्षर प्रमाण के

लेखिका
A.D.J. VII

24.12.19.

P.O. आवक नं. 99,
दिनांक 14.12.2000 को प्राप्त है
अभिप्रायन साक्षर प्रमाण के

A.D.J. VII

14.01.20

P.O. On C.L.
सभी दो अभियुक्तों की ओर से वकालत
हाजरी की गई है। सी.ए. दिनांक 19.02.20 साक्षर है
अभिप्रायन साक्षर प्रमाण के लेखिका

A.D.J. VII

19.02.20

सभी दोनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त
शजा राम इफ्ति राज कुमार पालवान की
हाजरी की गई है। एक अभियुक्त की ओर
से वकालत हाजरी की गई और स्वीकृत
दिनांक है।

दिनांक 12.03.20 को
है अभियुक्त शजा राम कुमार की लेखिका
A.D.J. VII